प्रारम्भिक डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर मावली जिला उदयपुर
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्ट)
पीठासीन अधिकारी: श्री जितेन्द्र ओझा, R.A.S

उनवान

1. श्री अम्बालाल पिता खुमाण कुम्हार निवासी साकरोदा तह. मावली।

...............वादी

बनाम

1. श्री कमलेश पिता लक्ष्मीलाल पालीवाल निवासी साकरोदा तह. मावली।
2. श्रीमती गोपी बेवा उदयलाल कुम्हार निवासी साकरोदा तह. मावली।
3. श्री बालुराम पिता उदयलाल कुम्हार निवासी साकरोदा तह. मावली।
4. मोहनी पिता धुलचन्द कुम्हार निवासी साकरोदा तह. मावली।
5. श्रीमती मगनी पत्नी धुलचन्द कुम्हार निवासी साकरोदा तह. मावली।
6. श्री प्यारचन्द पिता खुमाण कुम्हार निवासी साकरोदा तह. मावली।
7. श्री मांगीलाल पिता खुमाण कुम्हार निवासी साकरोदा तह. मावली।
8. श्री जगदीश पिता शंकरलाल कुम्हार निवासी साकरोदा तह. मावली।
9. श्रीमती लीला पिता शंकरलाल पत्नी प्रभुलाल कुम्हार निवासी साकरोदा तह. मावली।
10. श्रीमती नर्मदा पिता शंकरलाल पत्नी रमेश कुम्हार निवासी साकरोदा तह. मावली।
11. श्री गोपाल पिता गणेशलाल जोशी (ब्राहम्ण) निवासी साकरोदा तह. मावली।
12. श्री मुकेश पिता गणेशलाल जोशी (ब्राहम्ण) निवासी साकरोदा तह. मावली।
13. श्रीमती राधाबाई पत्नी गणेशलाल जोशी (ब्राहम्ण) निवासी साकरोदा तह. मावली।
14. राजथान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।

.........प्रतिवादीगण

दावा बाबत :– 53,188 रा.का.अधि.
मुकदमा नम्बर : 82/17 वाद
निर्णय दिनांक : 14.06.2018

अधिवक्ता वादी की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 14.06.2018 को जितेन्द्र ओझा, R.A.S. उपखण्ड अधिकारी के समक्ष प्रारम्भिक निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और प्रारम्भिक डिक्री दी जाती है कि – मौजा साकरोदा पटवार हल्का साकरोदा की आराजी न. 75 से 80, 1544 से 1551 किता 14 रकबा 24 बीघा 17 बिस्वा भूमि का राजस्व रेकार्ड में अंकित पक्षकारान के मध्य हिस्से एवं कब्जें के आधार पर बंटवाडा प्रस्तावित किया जावें। बंटवाडा प्रस्ताव हेतु तहसीलदार मावली को 500/– रूपया कमिश्नर शूल्क पर बंटवाडा कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता हैं कि सभी पक्षकारान की उपस्थिति में बंटवाडा प्रस्तावित किया जावें। पक्षकारान के आने जाने हेतु मौजूदा रास्ता भी प्रस्तावित किया जावें। बंटवाडा सूची, लगान सूची, नक्शा ट्रेस दो–दो प्रतियों में पेश किया जावें। रा.का.अधि. में वर्णित प्रावधानों का पूर्ण रूपेण पालन किया जावें। फीस कमिश्नर वादी मौके पर अदा करें।

यह आज तारीख 14.06.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) मावली, जिला–उदयपुर

(जितेन्द्र ओझा)
पीठासीन अधिकारी
सहायक कलक्टर (SDO) मावली
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर मावली

Scanned by CamScanner